क्रमांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	2	3

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

विविध वाद सं0 02/2017–18

श्रीमती जोनमुनी हेम्ब्रम –बनाम– सुनीता सोरेन वगै0

–: आदेश :–

1.5.2019 यह मामला ग्राम–मुगदी, थाना–बरहेट, अंचल–बरहेट, जिला–साहेबगंज के गुमदी आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 131 में सेविका पद पर चयन से संबंधित है।

प्रथम पक्षः– आवेदिका जोनमुनी हेम्ब्रम की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका वर्तमान में ग्राम मुगदी आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 131 के सेविका–सह–सहायिका पद पर कार्य सम्पादन कर रही है। उक्त केन्द्र की सेविका बासो किस्कू थी। बासो किस्कू की मृत्यू दिनांक 12.12.2016 को हो गई। बासो किस्कू की मृत्यू के पश्चात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरहेट के पत्रांक 12/बा0वि0, दिनांक 06.01.2017 के द्वारा आवेदिका को उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 131 की सहायिका के साथ–साथ सेविका के कार्यों का संचालन करने हेतु निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में आवेदिका केन्द्र के दोनों पदों का कार्य करती आ रही है। दिनांक 21.08.2017 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरहेट की उपस्थिति में ग्राम–मुगदी आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 131 की सेविका चयन हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन की गई। सेविका पद पर चयन हेतु आवेदिका भी उम्मीदवार बनी थी, किन्तु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरहेट द्वारा आवेदिका के आवेदन एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन किये बिना विपक्षी संख्या 1 सुनीता सोरेन को मनमाने एवं गलत तरीके से चयन की गई है, जो सरकार के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुकूल नहीं है।

उनका कथन है कि आँगनबाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाली बहु को ही सहायिका अथवा सेविका के पद पर चयन किया जा सकता है। विपक्षी सुनीता सोरेन गाँव अथवा आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र की बहु नहीं है तथा अबतक उनकी शादी भी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में सुनीता सोरेन का चयन सेविका के पद पर नहीं किया जा सकता है। जबकि विपक्षी विकलांग या अपंग भी नहीं है। उनका यह भी कथन है कि दोनों उम्मीदवार इन्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण है। आवेदिका वर्ष 2012 से उक्त केन्द्र पर सहायिका पद पर कार्यरत है। जनवरी 2017 से उक्त केन्द्र की सेविका का भी कार्य कर ही है। आवेदिका के कार्यों से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरहेट काफी संतुष्ट है। अतः दिनांक 21.08.2017 को आयोजित चयन प्रकिया द्वारा विपक्षी संख्या 1 सुनीता सोरेन को सेविका पद पर किये गये चयन को रद्ध करते हुए आवेदिका को केन्द्र का विधिवत रूप से सेविका बहाल किया जाय।

द्वितीय पक्षः–विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि आवेदिका द्वारा लगाये गये आरोप बिलकुल ही निराधार है। क्योंकि उस गाँव में विपक्षी सबसे अधिक शिक्षित होने के कारण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरहेट की उपस्थिति में आयोजित बैठक द्वारा विपक्षी को चयन की गई है। आवेदिका की योग्यता

Scanned with CamScanner

निदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

2017

विपक्षी से कम होने के कारण उनका चयन उक्त पद पर नहीं की गई है। आवेदिका विपक्षी की अपनी भाभी होने के कारण जलन की ईर्षा से क्रोधित होकर आवेदन दायर की गई है। उनका यह भी कथन है कि आवेदिका इन्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण है किन्तु अंक पत्र में विपक्षी से कम अंक होने के कारण ग्राम सभा में उनकी चयन नहीं की गई तथा अधिक अंक प्राप्त के कारण विपक्षी को आम सभा में सेविका पद पर चयन की गई। दिनांक 21.08.2017 को सेविका चयन हेतु आयोजित आम सभा में लिये गये निर्णय बिल्कुल सही है। इस आम सभा में किसी प्रकार से सरकारी नियम का उलंघन नहीं हुआ है। आवेदिका द्वारा दायर आवेदन को खारिज किया जाय।

विपक्षी की ओर से लिखित पंचनामा दाखिल की गई, जिसके अनुसार दिनांक 28.07.2017 को विपक्षी अपने ग्राम में ही संथाल समाज के अनुसार एक छोटा विवाह (काटीय बापला) के रूप में हुआ है, जिसमें लड़का छविलाल मुर्मू, पिता–स्व0 बड़का मुर्मू, ग्राम–मुगदी का निवासी है एवं लड़की सुनीता सोरेन, पिता–बड़का सोरेन, ग्राम–मुगदी, थाना–बरहेट की रहने वाली है, जो आँगनबाड़ी पोषक क्षेत्र का स्थायी निवासी है। इस प्रकार दोनों की शादी अपने माता, पिता, भाई, वहन एवं सब रिश्तेदारों की सहयोग से हुआ है तथा समाज के लोग शादी–सुदा महिला (बहु) का दर्जा दिया गया है। इस संबंध में लिखित पंचनामा मे ग्रामीणों एवं ग्राम प्रधान प्रधान हाँसदा तथा चुड़का मुर्मू (परमाणिक) का मुहर के साथ दाखिल किया गया है एवं विपक्षी की ओर से शपथ पत्र भी समर्पित किया है।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज के प्रतिवेदन पत्रांक 1635 दिनांक 07.12.2017 में उल्लेखित किया गया है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरहेट से बिन्दुवार प्राप्त प्रतिवेदन मूल रूप में प्रेषित किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आवेदिका सहायिका के पद पर कार्यरत है। सेविका का पद रिक्त होने के कारण आमसभा कराकर सेविका पद पर चयन प्रक्रिया किया गया। आवेदिका का शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक कम होने के कारण आमसभा द्वारा विपक्षी सुनीता सोरेन को चयन किया गया। आमसभा एवं चयन समिति की सर्व सम्मति से सरकारी नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूरी की गई है। आमसभा में ग्राम मुखिया के हाथों चयनित सेविका को औपबंधिक चयन पत्र प्रदान की गई है।

निर्णयः– उभय पक्षों को सुना साथ ही अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका वर्तमान में सहायिका पद पर कार्यरत है। दोनों ही उमीदवार शैक्षणिक योग्यता में इन्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण है, किन्तु आवेदिका का कुल प्राप्तांक 244 है एवं विपक्षी सुनीता सोरेन का प्राप्तांक 274 होने के कारण विपक्षी को सेविका पद के लिए चयन किया गया। इस प्रकार समिति द्वारा आमसभा में लिये गये निर्णय सरकारी नियमानुसार सही प्रतीत होता है। इस प्रकार आवेदिका द्वारा की गई दावा संतोषप्रद नहीं है। आवेदिका द्वारा दायर आवेदन को खारिज किया जाता है। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

10/05/19

उपायुक्त,
साहेबगंज।

10/05/19

उपायुक्त,
साहेबगंज।

Scanned with CamScanner